अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :–

अभिलेख संख्या :– 172/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र कु० बास्की वो अंचल निरीक्षक श्री तारकेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बसुआ थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/54/1 दाग नं0 32 रकवा 00-03-00 किस्म परती कदीम श्री लाल बिहारी सिंह पिता बिश्वनाथ सिंह साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री लाल बिहारी सिंह को दिनांक 14/9/16 समय .... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

30/8/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

~~28/6/16~~
3/7/2021 अभिलेख उपस्थापित।
पुनः नोटिस निर्गत करें।

3/7/2020

अंचल अधिकारी
महागामा।

sandha

अभिलेख उपस्थापित।
कोविड -19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया गया है। कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 27.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।

18/8/2021
अंचल अधिकारी,
महागामा।

27/8/21. अभिलेख उपस्थापित।
हाजरी पड़ी। भूमि से संबंधित कागजात की छाया प्रति दी गई है। अभिलेख दिनांक 31/8/21. को रखें।

27/8/2021
अंचल अधिकारी
महागामा

31.08.2021 अभिलेख उपस्थापित।
राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रश्नगत भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार अवैध / संदेहास्पद पंजी II रैयत की भूमि मौजा - बसुआ थाना नं० - 692 के गैरमजरूआ खाता सं० - 24 के अंदर दाग नं० - 32 का अंश रकबा 00-03-09 धूर जमीन भूमि सुधार

उपसमाहर्त्ता, ओड़डा के रेंट फिक्सेशन अपील केश नं० - 01/1963-64, अंचल अधिकारी, महागामा के रेंट फिक्सेशन केश नं० - 58/1962-63 के माध्यम से लाल बिहारी सिंह पिता - विश्वनाथ सिंह को प्राप्त हुआ है। लाल बिहारी सिंह की मृत्यु हो गयी है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर लाल बिहारी सिंह के वंशजों का दखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

3/3/24

अंचल अधिकारी,
महागामा।

3/3/24

अंचल अधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2022.03.09 18:50:01 +05:30
Location: 192.168.134.28

Scanned with CamScanner